

आयालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला-बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री यक्ष चौधरी (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 42/2025

क्रमांक/आवेदन/2025/1280

दिनांक : 19.02.26

प्रार्थीगण

विप्रार्थीगण

सुमित्रादेवी पत्नी देवाराम

कानाराम पुत्र टीकूराम

जाति कुम्हार, निवासी मोखाब खुर्द

वगैरा (35)

तहसील शिव, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

--: आदेश :-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ को प्रार्थीगण की मौजा मोखाब खुर्द, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 530/27, 406/28 रकबा क्रमशः 0.9470, 0.5261 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैंड रेकार्ड्स रूल्स, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवाने हेतु 500/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू-अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला-बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2025/1281-86

दिनांक : 19.02.26

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी मोखाब को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थी सुमित्रादेवी पत्नी देवाराम वगैरा (0) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण कानाराम पुत्र टीकूराम वगैरा (35) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला-बाड़मेर

